

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()समिति गठन/डीएलबी/24/3324

दिनांक 04.09.2024

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55(3)(vii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका कापरेन (बूंदी) में वीर तेजाजी मेला-2024, मेला समिति का गठन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स.	नाम	पद
1	श्री जितेन्द्र पापड़ीवाला	अध्यक्ष/संयोजक
2	अधिशायी अधिकारी नगरपालिका कापरेन	सदस्य सचिव
3	श्री गिरिराज खींची	सदस्य
4	श्रीमती राधा गौतम	सदस्य
5	श्री हरनाथ मीणा	सदस्य
6	श्री भुपेन्द्र सिंह हाड़ा	सदस्य
7	श्री चन्द्र कैलाश मीणा	सदस्य
8	श्रीमती रेखा राठौर	सदस्य

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.9(ड)()समिति गठन/डीएलबी/24/3325-3333

दिनांक 04.09.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर बूंदी।
5. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा/अधिशायी अधिकारी नगरपालिका कापरेन (बूंदी)।
6. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
8. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य समिति।
9. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी